कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22( )लेखा / ई.पेंशन / प्रमुवसं / 2023–24 / दिनांक :

समस्त वनाधिकारीगण

....

विषय :– आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर कम्यूटेशन प्रार्थना (request) का निस्तारण किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ:– वित्त कोष एवं लेखा) विभाग व परिपत्र दिनांक 01.06.2023 एवं निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पत्रांक प 5 (328) / निपेवि / नियम / ई–मॉडयूल / 2023 / 3322–एच दिनांक 29.09.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 द्वारा यह निर्देशित किया गया हैं कि जून 2023 से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर निस्तारित किए जा रहे है। कार्मिक जिनके द्वारा सेवानिवृति के समय पेंशन रूपान्तरण लिए जाने का आवेदन नही किया गया था अथवा जो पेंशंन प्रकरण ऑटो प्रोसेस के माध्यम से निस्तारित हुए थे तथा जिनमें पेंशन रूपान्तरण अधिकृति जारी नही की गई थी, के लिए आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर पेंशन रूपान्तरण सुविधा विकसित की जा चुकी हैं। जिसके अन्तर्गत आवेदन हेतु कर्मचारी द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया एवं कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही जाने वाली कार्यवाही का विवरण संदर्भित पत्र में वर्णित हैं।

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है। कि आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ऐसे सेवानिवृत कामिकों द्वारा पीएसएस के माध्यभ से आवेदन किये जाने पर कार्मिक की पात्रता व विभागीय जांच के संबंध में सुनिश्चितता करते हुए पेंशन रूपान्तरण प्रकरण पेंशन विभाग को सिस्टम पर अग्रेषित करावें।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार

भवदीया

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 22( )लेखा / ई.पेंशन / प्रमुवसं / 2023–24 / 6291-420 दिनांक : 27.10.23

प्रतिलिपिः– निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ।
3. समस्त अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौघोगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
5. मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) मुख्यालय राजस्थान जयपुर को भिजवाकर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को पालना हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
6. नोडल अधिकारी (आई.एफ.एम.एस. 3.0) प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
4971582

Signature valid
Digitally signed by Nidhi Mehta
Designation : Financial Advisor
Date: 2023.10.27 1?:10:39 IST
Reason: Approved

I.A.
DCF(IT)
3/11/2023

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687
वेबसाईट :- pension.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- प.5(328) निपेवि/नियम/ई –मॉड्यूल/2023/3322-H दिनांक :-27/9/23

समस्त विभागाध्यक्ष

....

विषय :- IFMS 3.0 पर कम्यूटेशन Request का निस्तारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के द्वारा जून, 2023 से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 पर निस्तारित किये जा रहे है। कार्मिक जिनके द्वारा सेवानिवृति के समय पेंशन रूपान्तरण लिये जाने का आवेदन नहीं किया गया था अथवा जो पेंशन प्रकरण Auto Process के माध्यम से निस्तारित हुये थे, तथा जिनमें पेंशन रूपान्तरण अधिकृति जारी नहीं की गई थी, के लिए IFMS 3.0 पर पेंशन रूपान्तरण हेतु सुविधा विकसित कर दी गई है। उक्त आवेदन का Flow Chart निम्नानुसार है –

SSO Login ⟶ IFMS 3.0 ⟶ Commutation Request on PSS by Pensioner ⟶ Head of Office (Approver) ⟶ Pension Zone Office (Approver).

कर्मचारी द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया :-

पेंशन रूपान्तरण लिये जाने हेतु नियमानुसार पात्र एवं इच्छुक पेंशनर IFMS 3.0 पर SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर पेंशन सेल्फ सर्विस (PSS) पर पेंशन रूपान्तरित (कम्यूटेशन) का विकल्प चयन करना है और यदि सेवानिवृत पेंशनर के फोटो (Single & Joint) पूर्व में अपलोड नहीं किये गये थे तो सर्वप्रथम फोटो upload करेगा। तदुपरान्त कम्यूटेशन की प्रतिशत का चयन करेगा और जिस कार्यालयध्यक्ष के साथ कर्मचारी की सम्बद्धता (Mapping) है उसको Verify करने के बाद प्रस्तुत करेगा।

यदि कर्मचारी का सिस्टम पर प्रदर्शित कार्यालय अध्यक्ष/कार्यालय उससे संबंधित नहीं है तो संबंधित कार्यालय की ऑफिस ID चयन करेगा और कार्यालयध्यक्ष को मेप करवायेगा।

कार्यालयध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :-

कर्मचारी द्वारा पेंशन रूपान्तरण आवेदन (Application) कार्यालयध्यक्ष को IFMS 3.0 पर वर्कस्पेस पर प्रदर्शित होंगे। कार्यालयध्यक्ष कर्मचारी द्वारा upload फोटो, पेंशन रूपान्तरण विकल्प अनुसार गणना की जांच पश्चात उसके विरूद्ध विभागीय जांच होने अथवा नहीं होने का विकल्प चयन करेंगे। यदि कार्यालयध्यक्ष द्वारा विभागीय जांच (DE) मार्क की जाती है तो कर्मचारी का कम्यूटेशन आवेदन रिक्वेस्ट स्वतः ही रिजेक्ट हो जायेगी। यदि No DE मार्क की जाती है तो पेंशन रूपान्तरण आवेदन पेंशन कार्यालय को अग्रेषित की जायेगी।

अतः आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित कराने का श्रम करावें कि IFMS 3.0 पर ऐसे सेवानिवृत कार्मिकों द्वारा PSS के माध्यम से आवेदन किये जाने पर कार्मिक की पात्रता व विभागीय जांच के संबंध में सुनिश्चित होते हुए पेंशन रूपान्तरण प्रकरण पेंशन विभाग को सिस्टम पर अग्रेषित करावें।

Sh. Ratan | H.S.
04/10/2023

1014
5.10

भवदीय

(डॉ देवराज)
निदेशक